Seventeenth Loksabha

an>

Title: Demand to implement Uniform Civil Code in the country.

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति महोदय, इस देश का बंटवारा वर्ष 1947 में धर्म के आधार पर हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी भारत एक सेक्युलर कंट्री रहा।... (व्यवधान) अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक बढ़िया जजमेंट आया है और उसमें एक इंस्ट्रक्शन, एक सलाह दी है कि जो संविधान है, जिसके लिए अभी हमने 'संविधान दिवस' 26 नवम्बर को मनाया है, उसका डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल-44 है, वह कहता है कि इस देश में कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए। यह देश अपने आपमें एक बड़ा देश है और आश्चर्यजनक है कि पूरी दुनिया में कहीं धर्म के आधार पर कुछ होता है, तो सीआरपीसी में चेंज होता है। मुस्लिमों का अलग सीआरपीसी होता है, क्रिश्चिन्स का अलग सीआरपीसी होता है, हिंदुओं का अलग सीआरपीसी होता है, क्योंकि सभी धर्मों में दंडात्मक अलग-अलग व्याख्या दी गई है। लेकिन यहां सीआरपीसी एक है, लेकिन आजादी के 75 वर्षों के बाद भी हम कॉमन सिविल कोड लागू नहीं कर पाए हैं और इसके लिए कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है।... (व्यवधान)

महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि जल्द से जल्द कानून लाकर यहां यूनिफार्म सिविल कोड लागू करना चाहिए।... (व्यवधान)